<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०– 1, फैजाबाद ।</u>

सत्र परीक्षण सं० 104/2020

राज्य बनाम राम सकल यादव एवं एक अन्य

<u>आरोप</u>

मैं, पूजा सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–1, फैजाबाद आप अभियुक्तगण–**राम सकल यादव व जोखू यादव** को निम्न प्रकार से आरोपित करती हूँ–

प्रथम– यह कि दिनांक 16–07–2020 के 15 वर्ष पूर्व वादी जितेन्द्र यादव की बहन आरती का विवाह अभियुक्त राम सकल यादव से होने के उपरान्त विभिन्न समय पर, बहद ग्राम बासदेवपुर, थाना कोतवाली बीकापुर, जिला फैजाबाद में आप लोगों ने वादी मुकदमा की बहन का पति व ससुर होते हुए उसके प्रति क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया। आपका उक्त कृत्य धारा 498A भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय – यह कि उपरोक्त तिथि,समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा की बहन आरती को प्रताड़ित कर आत्म हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया जिसके परिणाम स्वरूप आरती ने आत्म हत्या कर लिया। आपका उक्त कृत्य धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं यह निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय ।

(पूजा सिंह)

दिनांक 27–01–2021 अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०–1,

फैजाबाद ।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया और परीक्षण की याचना किया ।

(पूजा सिंह)

दिनांक 27–01–2021 अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०–1,

फैजाबाद ।